

# कार्यालय कलेक्टर( भू-अभिलेख शाखा ) जिला-धमतरी

// प्रेस विज्ञप्ति //

धमतरी, दिनांक 22/07/2016

कार्यालयीन पत्र पृ.क्रं. 868/भू-अभि/स्था./पट.चयन/2016 दिनांक 11.07.2016 द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर पटवारी चयन परीक्षा 2016 के परिणाम के मेरिट आधार पर अभ्यर्थियों की तैयार अनंतिम चयन/प्रतिक्षा सूची के संबंध में दिनांक 19.07.2016 के शाम 5.00 बजे तक चाही गई दावा आपत्ति के संबंध में, समयावधि तक प्राप्त दावा आपत्ति का निराकरण किया जाकर दावाकृत अभ्यर्थियों के अवलोकनार्थ जिले के वेबसाईट <http://www.dhamtari.gov.in> मे अपलोड किया जाकर एक प्रति कार्यालय के सूचना पटल पर चस्ता की गई है।


  
अपर कलेक्टर  
धमतरी

पृ.क्रं. 935 /भू-अभि/स्था./पट.चयन/2016

धमतरी, दिनांक 22/07/2016

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त भू-अभिलेख छ0ग0, इन्द्रावती भवन, प्रथम तल, ब्लॉक-बी नया रायपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, धमतरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया, संलग्न सूची को जिले के वेबसाईट मे अपलोड करने का कष्ट करें।
3. उप संचालक जिला जन संपर्क अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया, उपरोक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुक्ल करवाने का कष्ट करें।

  
अपर कलेक्टर  
धमतरी

पटवारी चयन परीक्षा 2016 के प्राप्त परिणाम के मेरिट आधार पर अभ्यर्थियों की अनंतिम चयन /प्रतिक्षा सूची के संबंध में दिनांक 19.07.2016 के शाम 5.00 बजे तक अभ्यर्थियों से प्राप्त दावा आपत्ति का निराकरण :-

स. क्रं.	अभ्यर्थी का नाम	रोल नं.	प्राप्तांक	जाति/वर्ग	अभ्यर्थी द्वारा उठाई गई आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	निराकरण
01	02	03	04	05	06	07
01	ज्ञानेश्वर साहू	15010174	75.507	OBC	जारी अनंतिम प्रतिक्षा सूची में कम अंक प्राप्त करने वाले OBC अभ्यर्थियों को रखा गया है। अतः निवेदन किया है कि अधिक अंक प्राप्त OBC वर्ग के उनके रैंक के आधार पर चयन की कार्यवाही की जायें।	जब प्रतिक्षा सूची से चयन की कार्यवाही की जावेगी तो अधिक अंक प्राप्त करने वाले OBC वर्ग के अभ्यर्थियों को उसके रैंक (मेरिट) के आधार पर ही चयन की कार्यवाही की जावेगी।
02	तरुण कुमार नामदेव	25170444	77.280	OBC	--	--
03	लक्ष्मी नारायण सोनकर	15060193	27.618	OBC Ex.	जारी अनंतिम चयन/प्रतिक्षा सूची में भूपू.सै. को शामिल नहीं करने से निवेदन किया है कि जैसे ही पदों की संख्या में बढ़ोत्तरी होती है तो कृपया भूपू.सै. को भी कोटे के अनुसार आरक्षण का लाभ दिया जाये।	यदि शासन द्वारा स्वीकृत पद की संख्या में वृद्धि की जाती है और भूपू.सै. के आरक्षण अनुसार पद बनता है, तो इसका लाभ दिया जावेगा।
04	कमल नारायण यादव	15020194	26.858	OBC Ex.	भूपू.सै./स्वतंत्रता संग्राम सैनानी संवर्ग से कोई भी आवेदक को प्राथमिकता नहीं दिया गया है।	आवेदक भूपू.सै. ना होकर एक स्वतंत्रता संग्राम सैनानी का रिश्तेदार है, शासन द्वारा जारी आरक्षण नियम 1985 में जो भूपू.सै. के परिभाषा दिया गया है उसमें स्वतंत्रता संग्राम सैनानी को शामिल नहीं किया गया है।

अपर कलेक्टर  
धमतरी  
27/07